

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : सुमित्रा पारीक, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 49/2022 राजस्व अपील

1. लखन पुत्र कमोद जाति गुर्जर निवासी ग्राम पीपलकी तहसील सिकराय जिला दौसा।
अपीलान्त

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये उप तहसीलदार सिकन्दरा तहसील सिकराय जिला दौसा।
रेस्पोडेन्ट

(अपील विरुद्ध निर्णय उपतहसीलदार उप तहसील सिकन्दरा निर्णय दिनांक 28.01.2022
प्रकरण उनवानी सरकार बनाम लखन प्रकरण संख्या 282/2021 अन्तर्गत धारा 91 राज.
लैण्ड रेवेन्यू एक्ट)

उपस्थिति : श्री निर्मल कुमार शर्मा, अधिवक्ता अपीलान्त उपस्थित।
: श्री राजेश कुमार शर्मा राजकीय अधिवक्ता उपस्थित।

:— निर्णय :—

दिनांक: 08.05.2024

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार से हैं कि भूमि खसरा नम्बर 2 रकबा 0.75 है. किस्म चरागाह ग्राम पीपलकी तहसील सिकराय में स्थित है। इस भूमि का स्वरूप नदी जैसा नहीं रहा है, इस भूमि पर अपीलान्त का कोई कब्जा काश्त नहीं है। उप तहसीलदार सिकन्दरा ने अपीलान्त के विरुद्ध भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये अपीलान्त को कब्जाशुदा आराजी से बेदखल करने एवं लगान दर का पचास गुणा शास्ति आरोपित कर खडी फसल को कब्जे राज में लिया जाकर फसल नीलामी करने के आदेश पारित कर दिये एवं अपीलान्त का पश्चातर्वी अतिक्रमण मानते हुये अपीलान्त को 30 दिवस के सिविल कारावास की सजा से दण्डित कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय दिनांक 28.01.2022 से व्यथित होकर अपीलान्त द्वारा यह अपील पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी रेस्पोडेन्ट की गई व अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली तलब कर अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

बहस के दौरान अधिवक्ता अपीलान्त ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि विरुद्ध एवं तथ्यों के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है। इस भूमि पर अपीलान्त का कोई कब्जा नहीं होने के बावजूद भी पटवारी हल्का द्वारा झूठी मौका रिपोर्ट पेश कर दी गई है। अधीनस्थ न्यायालय ने मौके की वास्तविक स्थिति का अवलोकन नहीं करते हुये यह निर्णय पारित किया है। अपीलान्त द्वारा कब्जा काश्त नहीं होने बाबत् प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन नहीं करते हुये यह निर्णय पारित किया है। अपीलान्त मजदूरी पेशा व्यक्ति है जो कमाने खाने के लिये बाहर चला जाता है। अधिवक्ता अपीलान्त द्वारा अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 28.01.2022 निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।



जवाब बहस के दौरान राजकीय अधिवक्ता ने निवेदन किया कि पटवारी हल्का पीपलकी की रिपोर्ट के अनुसार अपीलान्त अतिक्रमी द्वारा ग्राम पीपलकी में स्थित भूमि खसरा नंबर 2 रकबा 0.75 है. किस्म चरागाह पर गेहूं की काश्त कर अतिक्रमण कर रखा है। पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में अपीलान्त का पश्चातवर्ती अतिक्रमी होना अंकित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्त को विधिवत नोटिस जारी किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त पत्रावली में अपीलान्त का बेदखलीनामा, फसल नीलामी की रिपोर्ट संलग्न है। अतिक्रमित भूमि के सम्बन्ध में भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत की जाने वाली कार्यवाही Summary Proceeding है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अतिक्रमी के विरुद्ध भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर निर्णय दिनांक 28.1.2022 पारित कर अपीलान्त अतिक्रमी को अतिक्रमित आराजी से बेदखल कर लगान का 50 गुणा शास्ति कायम कर 30 दिन के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है। अतः अपील अपीलान्त खारिज फरमाई जावे।

अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में प्राप्त अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से यह तथ्य प्रमाणित है कि पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्त के विरुद्ध भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर उक्त प्रश्नगत निर्णय पारित किया गया है। अपीलान्त अतिक्रमी द्वारा राजकीय भूमि खसरा नंबर 2 रकबा 0.75 है. किस्म चरागाह पर गेहूं की काश्त कर अतिक्रमण किया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अनुसार अपीलान्त पश्चातवर्ती अतिक्रमी है। अधिवक्ता अपीलान्त एवं अपीलान्त द्वारा अतिक्रमण हटाये जाने एवं भविष्य में अतिक्रमण नहीं करने बाबत कोई दस्तावेज भी न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किये गये है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में बेदखली एवं फसल नीलामी की रिपोर्ट संलग्न है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्त खारिज किया जाना उचित समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्त खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली लौटाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद पूर्ति प्रविष्ट अभिलेखागार की जावे।



निर्णय आज दिनांक 08.05.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुमित्रा पारीक)
अति. जिला कलक्टर ,दौसा

(सुमित्रा पारीक)
अति. जिला कलक्टर ,दौसा